


“बाल अधिकारिता विभाग, रोस्टर रजिस्टर के संबंध में नोट”

बाल अधिकारिता विभाग के पृथक् से भर्ती एवं सेवा नियम नहीं होने के कारण समस्त पदों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। अतः बाल अधिकारिता विभाग के कार्मिकों का पृथक् से रोस्टर रजिस्टर संधारित नहीं कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के रोस्टर में ही नाम सम्मिलित हैं।


(राजेंद्र सिंह)
अति. निदेशक (प्रशासन)